



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/APO/स्था./पद./2017/3774

जयपुर दिनांक:- 09/09/2022

—:आदेश:—

निम्नलिखित विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	श्री राजीव तोमर	आदेशों की प्रतीक्षा से पंचायत समिति शाहबाद (बारां) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर पंचायत समिति बकानी (झालावाड)	श्रीमती हेमश्री प्रद्युम्न के स्थान पर
2.	श्रीमती हेमश्री प्रद्युम्न	पंचायत समिति बकानी (झालावाड)	आदेशों की प्रतीक्षा में, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग	-
3.	श्री विरेन्द्र कुमार व्यास	पंचायत समिति वल्लभनगर (उदयपुर) से सरनाउ (जालौर) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत वल्लभनगर (उदयपुर)	रिक्त पद पर
4.	श्री महेश सिंह	पंचायत समिति अरनोद (प्रतापगढ) स्थानान्तरणाधीन	पंचायत समिति बालोतरा (बाडमेर)	रिक्त पद पर
5.	श्री राजेन्द्र कुमार	पंचायत समिति बागौडा (जालौर) से आदेशों की प्रतीक्षा में स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत पंचायत समिति बागौडा (जालौर)	रिक्त पद पर
6.	श्री विशाल सीपा	पंचायत समिति भीण्डर (उदयपुर)	पंचायत समिति मकराना (नागौर)	श्री धनसिंह के स्थान पर
7.	श्री धनसिंह	पंचायत समिति मकराना (नागौर)	पंचायत समिति भीण्डर (उदयपुर)	श्री विशाल सीपा के स्थान पर
8.	श्री रामराज	पंचायत समिति पदमपुर (श्रीगंगानगर)	पंचायत समिति रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर
9.	श्री किशन लाल मीणा	पंचायत समिति बडीसादडी (चित्तौडगढ)	पंचायत समिति नगर (भरतपुर)	रिक्त पद पर

आदेश में वर्णित उपरोक्त अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित पदस्थापित स्थान से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

५७

(घनश्याम शर्मा)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. आदेश पत्रावली।

५७
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)